

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(1) हम प्रार्थीगण निम्न आराजी के सह खातेदार कृषक है -

राजस्व लोक प्रदायक न्याय आपके द्वार -2

नाम	ग्राम	खाता नं.	ख.नं.	रकबा	लगान	नाम	ग्राम	खाता नं.	ख.नं.	र
1. लडगण राघू पि० नाथू उगमी पुत्री						नाथिका		177	2052	0
2. नाथू रामलाल ठंका (जौपाल पिता)									2053	1
3. मांयु रामलाल ठंका (जौपाल पिता)									2054	1
4. मांयु गुलाबी ककुमबी नाथू सामरी									2055	1
5. कमला पुत्री मांयु मुकर ता० देह खोलेदर									2057	
6.									2058	
7.									2059	
8.									2060	
9.									8	
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

खातेदारी की पद्धत की

- (2) हम आपसी समझोते से मौके पर अलग कब्जा कर काश्त कर रहे हैं। कब्जे के आधार पर बंटवारा अलग खाता एवं लागत कायम किया जावे।
 (3) समझोते के अनुसार प्रत्येक सह खातेदार कृषक के नाम निम्न प्रकार से भूमि राजस्व रेकार्ड में अं

① लडगण राघू पि० नाथू उगमी पुत्री

ख.नं.	रकबा	लगान
2060/1	0-06	19-32
2058/1	0-11	
2054/1	0-11	
2053	1-09	
2059	1-03	
5	3-19	19-32

के खाते में

② रघुनाथ पि० रामलाल पुत्री

ख.नं.	रकबा	लगान
2057	1-08	
2055	1-01	
2060	0-04	
2058	0-14	
2054	0-12	
5	3-19	

मि. लाली
 मि. नाथू उंकार
 फौजा पुकाशी
 रघुनाथ पुत्र

- (4) निम्न भूमियां सामलती खाते में रहेंगी :-
 (5) बंटवारा के लिए शुल्क देने को तैयार है। पैरा नं. 4 के अनुसार बंटवारा आदेश दिलाने की कृपा सुराना स्टेशनर्स भीलवाड़ा फोन 224721

सह लोकप्रिय
 मूलतः
 हिमालय

कमला
 आज्ञा
 राजस्व
 दिनांक